



अररिया समाहरणालय
(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

दूरभाष सं० : 06453-222001 (का०)
: 06453-222102 (आ०)
फैक्स सं० : 06453-222124
email Id : dm-araria.bih@nic.in

आदेश

अररिया से गलगलिया नई बड़ी रेललाईन निर्माण हेतु अररिया जिला अन्तर्गत अररिया अंचल के 08 मौजा; फारबिसगंज अंचल के 08 मौजा; कुर्साकाँटा अंचल के 11 मौजा; सिकटी अंचल के 09 मौजा एवं पलासी अंचल के 01 मौजा कुल-37 मौजों में 659.065 एकड़ भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1214/रा० दिनांक-05.11.2018 द्वारा अधिघोषित है।

RFCTLARR अधिनियम की धारा-19(1) अन्तर्गत अधिघोषणा प्रकाशन के पश्चात् अररिया अंचल के मौजा इटहारा, थाना नं०-205; फारबिसगंज अंचल के मौजा भाग हलहलिया, थाना नं०-33 व मौजा डोरिया सोनापुर, थाना नं०-29; कुर्साकाँटा अंचल के मौजा कोलहुआ, थाना नं०-241 व बखरी मिलिक, थाना नं०-68/2 एवं पलासी अंचल के मौजा बलुआ, थाना नं०-43 में अर्जित जमीन के हितबद्ध रैयतों को संबंधित अंचल अधिकारी से प्राप्त जमाबन्दी प्रतिवेदन के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा-21(2) के तहत नोटिस निर्गत किया गया है। उक्त मौजों में अर्जित जमीन के शीघ्र मुआवजा भुगतान हेतु स्थल की नापी एवं रैयतों से वांछित कागजात प्राप्त करने हेतु मौजावार शिविर का आयोजन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

अंचल का नाम	मौजा/थाना नं०	शिविर हेतु निर्धारित स्थल	निर्धारित तिथि	निर्धारित समय	एन०एफ० रेलवे, कटिहार द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक
1	2	3	4	5	6
फारबिसगंज	भाग हलहलिया-33	पंचायत भवन, हलहलिया	01.03.2019	09:30 बजे पूर्वा० से 01:00 बजे अप० तक	श्री सजल सिंह, मो० नं० 9065144710 श्री सुभाष मंडल, मो० नं० 7908052992
	डोरिया सोनापुर-29	मध्य विद्यालय, पुरनदाहा		02:00 बजे अप० से 05:30 बजे अप० तक	
कुर्साकाँटा	कोलहुआ-241	मध्य विद्यालय, बखरी मिलिक	02.03.2019	10:00 बजे पूर्वा० से 05:00 बजे अप० तक	श्री सौरव सिंह, मो० नं० 7988242448 श्री अभिजीत कुमार, मो० नं० 8918895763
	बखरी मिलिक-68/2				
अररिया	इटहारा-205	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, इटहारा	03.03.2019	10:00 बजे पूर्वा० से 05:00 बजे अप० तक	श्री सजल सिंह, मो० नं० 9065144710 श्री सुभाष मंडल, मो० नं० 7908052992
पलासी	बलुआ-43	डाक बंगला, पलासी	05.03.2019	10:00 बजे पूर्वा० से 05:00 बजे अप० तक	श्री सौरव सिंह, मो० नं० 7988242448 श्री अभिजीत कुमार, मो० नं० 8918895763

संबंधित अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर शिविर में अपने अंचल निरीक्षक/संबंधित राजस्व कर्मचारी को आवश्यक राजस्व अभिलेख/जमाबन्दी

पंजी के साथ उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे एवं स्वयं भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही, उपरोक्त शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार हितबद्ध रैयतों के बीच कराएंगे, ताकि शिविर में उपस्थित हितबद्ध रैयतों से मुआवजा राशि भुगतान करने हेतु वांछित कागजात यथा-खतियान व केवाला की छायाप्रति, अद्यतन लगान रसीद/भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र/पैन कार्ड/आधार कार्ड/बैंक पासबुक की छायाप्रति/वंशावली व अन्य वांछित कागजात प्राप्त किया जा सके।

अंचल अधिकारी संबंधित हितबद्ध रैयतों को भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन लगान रसीद सम्यक् जाँचोपरान्त शिविर में ही निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला भू-अर्जन कार्यालय, अररिया में प्रतिनियुक्त अमीन श्री अजय कुमार झा (मो0नं0-7070422459) व श्री घोटन लाल सिंह (मो0नं0-8986111204) को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित तिथि को संबंधित मौजा में अर्जित जमीन का मौजावार स्थल नापी कर उक्त शिविर में अंचल अधिकारी से जमाबन्दी सत्यापन कराते हुए नापी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उसी दिन जिला भू-अर्जन कार्यालय, अररिया को उपलब्ध कराएंगे। प्रतिनियुक्त अमीन के लिए वाहन जिला भू-अर्जन कार्यालय, अररिया द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस मामले में किसी भी समस्या के निदान हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया (मो0नं0-9931272032) एवं कार्यपालक अभियंता (निर्माण), एन0एफ0 रेलवे, कटिहार (मो0नं0-6206027530) से आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/-
समाहर्ता,
अररिया

ज्ञापांक-185/जि0भू0अ0, अररिया, दिनांक 27/02/2019

- प्रतिलिपि : संबंधित अंचल निरीक्षक/राजस्व कर्मचारी/श्री अजय कुमार झा व श्री घोटन लाल सिंह, अमीन, जिला भू-अर्जन कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी संबंधित अंचल अधिकारियों/भू-अर्जन नाजीर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अपर जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना सम्प्रेषण हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता (निर्माण), एन0एफ0 रेलवे, कटिहार (मो0नं0-6206027530) को सूचनार्थ एवं प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक के उक्त निर्धारित शिविर में ससमय उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।

समाहर्ता
अररिया